रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 1986/आषाढ़ 27, 1908
No. 352] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 1986/ASADHA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सं. 383/86-सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 949(अ) :— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अनुसरण में, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 264-सीमाशुल्क (सा. का. नि. 683-अ), तारीख 25 अप्रैल, 1986 को अधिक्रांत करते हुए, यह अवधारित करती है कि उक्त

अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए, रूसी रूबल का भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने के लिए विनिमय दर 13.3743 रुपए होगी।

[फा. सं. 503/2/86 - सीमाशुल्क-6]

संदीप जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th July, 1986

NOTIFICATION

No. 383/86-CUSTOMS

G.S.R. 949(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 264-Customs [G.S.R. No. 683(E)], dated the 25th April, 1986, the Central Government hereby determines that, for the purpose of section 14 of the said Act, the rate of exchange for conversion of one Russian Rouble into Indian currency or vice-versa, shall be rupees 13.3743.

[F. No. 503/2/86-Cus. VI]

SANDEEP JOSHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986